न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–प्रदीपसिंह सांगावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– डिक्री 311 सन 2015

पंजीयन दिनांकः– 29.10.2015

मंजूदेवी पत्नी रामदास बैरागी निवासी–बोदीयाना तहसील एवं जिला–चित्तौडगढ ।

–अपीलांट

विरूद्व

1.प्रभुलाल पिता स्व.गणेशदास बैरागी निवासी–बोदीयाना ।
2.भंवरलाल पिता गेणेशदास बैरागी निवासी–'पंचवटी सेती ।
3 रामदास पिता गणेशदास बैरागी निवासी–बोदीयाना ।
4.गीतादेवी पुत्री गणेशदास पत्नी रामेश्वरदास बैश्णव निवासी–टाटरमाला ।
5.रामकन्या पुत्री गणेशदास पत्नी राधेश्याम वैश्णव निवासी–टाटरमाला ।
6.भागवन्ती पुत्री गणेशदास पत्नी भांतिदास निवासी–टाटरमाला ।
7.सावित्री पुत्री गणेशदास पत्नी बंशीदास वैश्णव निवासी–पारसोली(नामतर्क)
8.सु ीला पुत्री गणेशदास पत्नी मोहनदास वैश्णव निवासी–कीरखेडा ।
9.भाकुन्तला पुत्री गणेशदास पत्नी रतनदास वैश्णव निवासी–नयीआबादी बोदीयाना ।
10.तारा पुत्री गणेशदास पत्नी बनवारीलाल वैश्णव निवासी–बिजोलिया ।
11.जानीबाई पत्नी गणेशदास बैरागी निवासी–बोदीयाना(मृतक)
12.राज्य जरिये तहसीदार चित्तौडगढ ।

–रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकाकरी चित्तौडगढ
प्रकरण संख्या 165/2010 निर्णय दिनांक 3.6.2015

उपस्थित–श्री शांतिलाल बसेर–अधिवकता अपीलांट
श्री बसंतीलाल पोखरना अधिवक्ता रेस्पो.1,5,6,9
श्री मुकेश सास्वत–अधिवकत रेस्पो02
श्री सत्यनारायण–अधिवक्ता रेस्पो03,4,8
श्री पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो012

–0–

निर्णय

दिनांक 20.12.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट 01 ने एक वाद विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–88–53–188 के अन्तर्गत मौजा बादीयाना में स्थित भूमि खसरा नम्बर 499,500,501,670/500 कुल किता–4 रकबा 1.29 हैक्टैयर के सबंध में प्रस्तुत किया गया जो विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ द्वारा दिनांक 3.6.2015 को वादी का वाद स्वीकार किया गया जिससे असन्तुष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 11/अपीलांट ने उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी एवं रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटीस जारी किये गये उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर बहस की गयी ।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त आराजियात का वाद अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत था एवं दिनांक 3.6.2015 को अपीलार्थी को सूचना दिये बगैर उसकी अनुपस्थिति में राजस्व अभियान कैम्प कोर्ट धनेतकलां में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 11 तक की अनुपास्थिति में वाद को स्वीकार करते हुये काउन्टर क्लैम को निरस्त किये बिना निर्णय पारित कर दी गई एवं वादग्रस्त आराजियात अपीलार्थीया की खातेदार गणेशदास पिता मोहनदास बैरागी से 150,000रू में खरीद कर दिनांक 8.12.2009 को विकय पत्र निष्पादित कर पंजीयन कराया तथा उसके पश्चात उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में आज दिनांक अपीलार्थीयाके खाते एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है । अपीलार्थी सदभावी केता होकर उसके खातेदारी में भूमि अंकित है तथा कब्जा भी उसी का चला आ रहा है राजस्व न्यायालय को विकय पत्र निरस्त घोषित करने का अधिकार नही है परन्तु अपीलार्थी के पक्ष में विश्पादित विकय पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के अवैध एवं शून्य घोषित कर अपीलार्थीया को उसके अधिकार से वंचित किया है इस कारण विचारण न्यायालय की निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है । अंत में उन्होने अपील मिमो में अंकित समस्त तथ्यो को पुन'दोहराते हुये अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3.6.2015 विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्व होकर निरस्त फरमावे एवं अपीलार्थीया का काउण्टर क्लैम स्वीकार कराया जाकर रेस्पोडेन्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावें ।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने वक्त बहस निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अन्य रेस्पोडेन्ट के विरूद्व घोषणा बंटवाडा व स्थाई निषेघाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया जिसको विचारण न्यायलय ने प्रमाणित होना मानते हुये प्रतिवादी संख्या 11 अपीलांट का काउण्टन क्लेम प्रमाणित नहीं होना मानते हुये उक्त आराजिात में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वादी का 1/11 हक व हिस्सा घोषित किया जाकर बंटवाडा किये जानेकी प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, रेंस्पोडेन्ट संख्या 11 अपीलाट ने अपने काउण्टर क्लेम के समर्थन में ऐसा कोई दस्तोवज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त आराजियात में रेस्पोडेन्ट संख्या 0 1 वादी का 1/11 हक व हिस्सा बनता हो जिससे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 11 की ओर प्रस्तुत अपील निराधाार होकर निरस्त योग्य है ।

मैने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस का गहनता से अध्ययन किया ओर पत्रावलियो का अवलोकन किया गया अधीनस्थ विचारण न्यालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्णण के विरूद्व पैतृत कृषि आराजियात में हक व हिसे की घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 11 ने काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया व वाद पत्र के समर्थन मेंशपथ पत्र प्रस्तुत किये व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की ओर प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्शित करावाया गया जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का वाद पत्र प्रमाणित होना व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से प्रस्तुत काण्टर क्लेम प्रमाणित नहीं होना मानते हुये निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का वाद पत्र डिक्री किया है, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि अनुरूप होने से इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है जिससे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है ।

अधिकारी

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ का प्रकरण संख्या 165/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.06.2015 यथावत रखा जाता है । डिक्री पर्चा जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 311/2022/डिक्री

मंजूदेवी पत्नी रामदास बैरागी निवासी–बोदीयाना तहसील एवं जिला–चित्तौडगढ ।
–अपीलान्ट

बनाम

1.प्रभुलाल पिता स्व.गणेशदास बैरागी निवासी–बोदीयाना ।
2.भंवरलाल पिता गेणेशदास बैरागी निवासी–'पंचवटी सेती ।
3 रामदास पिता गणेशदास बैरागी निवासी–बोदीयाना ।
4.गीतादेवी पुत्री गणेशदास पत्नी रामेश्वरदास बैश्णव निवासी–टाटरमाला ।
5.रामकन्या पुत्री गणेशदास पत्नी राधेश्याम वैश्णव निवासी–टाटरमाला ।
6.भागवन्ती पुत्री गणेशदास पत्नी भ्रांतिदास निवासी–टाटरमाला ।
7.रावित्री पुत्री गणेशदास पत्नी बंशीदास वैश्णव निवासी–पारसोली(नामतर्क)
8.सु ीला पुत्री गणेशदास पत्नी मोहनदास वैश्णव निवासी–कीरखेडा ।
9.भाकुन्तला पुत्री गणेशदास पत्नी रतनदास वैश्णव निवासी–नयीआबादी बोदीयाना ।
10.तारा पुत्री गणेशदास पत्नी बनवारीलाल वैश्णव निवासी–बिजोलिया ।
11.जानीबाई पत्नी गणेशदास बैरागी निवासी–बोदीयाना(मृतक)
12.राज्य जरिये तहसीदार चित्तौडगढ ।
–रेस्पोडेन्टस

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितौडगढ के प्रकरण **संख्या** 165/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2015 अन्तर्गत धारा 53,88 व 188 राजस्थान काश्त**कारी** अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : अपील अपीलांट अस्वीकार की **जाकर** अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितौडगढ की प्रकरण संख्या 165/2010 निर्णय व **डिक्री** दिनांक 03.06.2015 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,..... ..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ..... द्वारा दिये जाने हैं । यह **आज** दिनांक 20.**12.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौडगढ